न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 15/2016 (राजसमन्द आर्डर)

माधुलाल मतबन्ना बालू जी, जाति रावल, निवासी ककेडिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. लादुलाल पिता सागरमल जी, जाति महाजन संचेती मृतक के बजाय :-

1/1. श्रीमती कंचन देवी पत्नी लादुलाल जी, जाति महाजन संचेती, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. उत्तम कुमार पिता लादुलाल जी, जाति महाजन संचेती, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. हंसराज पिता लादुलाल जी, जाति महाजन संचेती, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. पप्पु पिता लादुलाल जी, जाति महाजन संचेती, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2. पारसमल पिता स्वर्गीय सागरमल जी, जाति महाजन संचेती, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

3. शिवलाल पिता स्वर्गीय सागरमल जी, जाति महाजन संचेती, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

4. भंवरलाल पिता स्वर्गीय लक्ष्मोलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

5. गणपतलाल पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

6. राधेश्याम पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

7. ओमप्रकाश पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

8. श्रीमती नर्बदा पत्नी पिता स्वर्गीय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़ मृतक के बजाय :—

8/1. मु. शांता पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

8/2. मु. कमला पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मीनारायण जी, जाति ब्राहमण, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

9. राधश्याम पिता स्वर्गीय माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

10. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्वर्गीय माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम मृतक के बजाय :—

10/1. राधेश्याम पिता स्वर्गीय माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

10/2. मु. निर्मला पुत्री स्वर्गीय माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

10/3. मु. विरांगना उर्फ मुन्ना पुत्री स्व० माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

10/4. मु. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

11. भूपेन्द्र पिता रमेशचन्द्र जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

12. हेमेन्द्र पिता रमेशचन्द्र जी, जाति जायसवाल, निवासो अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

13. अनोपसिंह पिता माणिकलाल जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

14. श्रीमती रूकमणी पत्नी रमेशचन्द्र जी, जाति जायसवाल, निवासी अजीतगढ़, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15. अमरसिंह पिता गोदसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द मृतक के बजाय :–

15/1. बाबुसिंह पिता स्वर्गीय अमरसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/2. सोहनसिंह पिता स्वर्गीय अमरसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द मृतक के बजाय :–

15/2/1. श्रीमती तारा देवी पत्नी स्वर्गीय सोहनसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/2/2. श्रीमती निर्मला पुत्री स्वर्गीय सोहनसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/2/3. श्रीमती भावना पुत्री स्वर्गीय सोहनसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/2/4. देवेन्द्र पिता स्वर्गीय सोहनसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/3. लुम्बसिंह पिता स्वर्गीय अमरसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/4. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

15/5. श्रीमती नैना देवी पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

16. श्रीमती कंकू पत्नी स्वर्गीय गेनसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

17. पूरनसिंह पिता गोदसिंह जी, जाति रावत, निवासी तितरी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

18. घीसु पिता किशना जी, जाति रावल, निवासी ककेड़िया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

19. मेघा पिता किशना जी, जाति रावल, निवासी ककेड़िया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 31.05.2016, प्र. सं. 43/2001

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एस.एस. पालीवाल अभि.रे.सं. 2, 4, 9, 17

———::———

निर्णय दिनांक

22–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट की ओर से हाल रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 में वर्णित भूमि बालू रावल की पैत्रृक सम्पत्ति होकर माफी की भूमि है, जिनका दत्तक पुत्र प्रार्थी होकर इस भूमि का खातेदार काश्तकार हैं एवं उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु बालू की मृत्यु के समय प्रार्थी अल्प वयस्क होने से भूमियां उसकी पत्नी देउ के नाम दर्ज हुई तथा कुछ भूमि का आधा हिस्सा तुलछा पिता पीथा के नाम दर्ज हो गया, जो गलत है। उक्त भूमियां प्रार्थी की दत्तक माता के नाम दर्ज हो जाने से उनके द्वारा विपक्षीगण को विकय कर दिया गया, जबकि वह अनुसूचित जनजाति की होने से उसके द्वारा सवर्ण के पक्ष में कानूनन विकय हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता। उक्त विकय की आड़ में विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 31–05–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पे"ा की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4, 9 व 17 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण का विवेचन किये मौके पर शान्ति व्यवस्था की स्थिति को मद्‌दे नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो अवैध व विधि विरूद्ध है, क्योंकि प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट का मूलवाद अभी लम्बित है। इसलिए बिना किसी न्यायोचित आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–05–2016 अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यां अनुसार बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों मूल बिन्दुओं पर बिना विवेचन किये मात्र यह अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि प्रकरण 2001 से लम्बित होने व मौके पर शान्ति व्यवस्था की स्थिति के मद्‌दे नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवचन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–05–2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित

किया जाता है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों मूल भूत बिन्दुओं पर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 23–09–2019 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर